वर्मा आयोग (Verma Commission) की रिपोर्ट में इवेंट आयोजकों (Event Organisers) और स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भूमिका का बहुत ही गहराई और विस्तार से विश्लेषण किया गया है। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि **21 मई 1991 को श्रीपेरंबदूर में हुई घटना** में सुरक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे आयोजकों का गैर-जिम्मेदाराना रवैया सबसे बड़ा कारण था।

रिपोर्ट के आधार पर, वीआईपी सुरक्षा के संदर्भ में आयोजकों की भूमिका, उनके द्वारा की गई गंभीर गलतियों और आयोग द्वारा तय की गई जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

1. सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान और असहयोग (Obstruction in Security Duty)

- **पुलिस पर राजनीतिक दबाव:** रिपोर्ट में पाया गया कि स्थानीय आयोजकों और नेताओं ने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को डराया और प्रभावित किया।
- **सुरक्षा घेरा तोड़ना:** जब पुलिस अधिकारी वीआईपी (राजीव गांधी) के चारों ओर एक सुरक्षित घेरा (Security Cord) बनाने की कोशिश कर रहे थे, तब राजनीतिक कार्यकर्ताओं और आयोजकों ने पुलिसकर्मियों को धक्का देकर हटा दिया ताकि वे खुद वीआईपी के करीब जा सकें।
- **अनावश्यक निकटता:** आयोजक सुरक्षा नियमों का पालन करने के बजाय इस बात में अधिक रुचि रख रहे थे कि कौन सा स्थानीय नेता या कार्यकर्ता वीआईपी को माला पहनाएगा या उनके साथ फोटो खिंचवाएगा।

2. कार्यक्रम स्थल (Venue) के चयन में घोर लापरवाही

- **सुरक्षित विकल्प को ठुकराना:** पुलिस विभाग ने सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम को श्रीपेरंबदूर के एक स्थानीय स्कूल (High School) परिसर में आयोजित करने की सलाह दी थी, क्योंकि उसे नियंत्रित और सुरक्षित करना आसान था।
- **असुरक्षित स्थान की जिद:** आयोजकों ने पुलिस की सलाह को दरकिनार करते हुए एक खुले मंदिर के मैदान (Temple Ground) को चुना। यह मैदान चारों तरफ से झाड़ियों, अंधेरे और खुले रास्तों से घिरा था, जिससे हमलावरों (LTTE आतंकियों) को छिपने और आसानी से घुसपैठ करने का मौका मिल गया।

3. लॉजिस्टिक्स और बैरिकेडिंग की विफलता (Logistical Failure)

- **अधूरी और कमजोर बैरिकेडिंग:** वीआईपी सुरक्षा के 'ब्लू बुक' (Blue Book) नियमों के अनुसार भीड़ को रोकने के लिए डबल बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी। आयोजकों ने यह बहाना बनाया कि उनके पास लकड़ी और सामग्री खत्म हो गई है और उन्होंने केवल एक बेहद कमजोर सिंगल बैरिकेड लगाया।
- **भीड़ का अनियंत्रित होना:** जैसे ही वीआईपी का आगमन हुआ, वह कमजोर बैरिकेडिंग भीड़ के दबाव को नहीं झेल सकी और टूट गई। आयोजकों के पास भीड़ को संभालने के लिए कोई प्रशिक्षित स्वयंसेवक (Volunteers) नहीं थे।

4. एक्सेस कंट्रोल (Access Control) और पास वितरण में धांधली

- **सुरक्षा जांच (Screening) का उल्लंघन:** नियम के मुताबिक केवल उन्हीं लोगों को वीआईपी के पास जाने की अनुमति होनी चाहिए थी जिनकी एडवांस चेकिंग और मेटल डिटेक्टर से जांच हुई हो। लेकिन आयोजकों ने ऐन वक्त पर अपनी मर्जी से कई अज्ञात और अनधिकृत लोगों को वीआईपी दीर्घा (VIP Enclosure) में एंट्री दे दी।
- **सूची (List) में हेरफेर:** आयोजकों ने पुलिस को उन लोगों की कोई निश्चित या अंतिम सूची नहीं दी जो मंच पर या वीआईपी के स्वागत के लिए आने वाले थे। इसी लापरवाही का फायदा उठाकर मानव बम (थानु) फूलों का हार लेकर उस घेरे में घुसने में कामयाब रही।

5. एडवांस सिक्योरिटी लायजन (ASL) को नजरअंदाज करना

- **बैठकों की अनदेखी:** किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता के दौरे से पहले पुलिस और आयोजकों के बीच **एडवांस सिक्योरिटी लायजन** (ASL) बैठक होती है। आयोजकों ने इन बैठकों को केवल एक औपचारिकता समझा और पुलिस द्वारा दी गई लिखित चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया।

निष्कर्ष और आयोग की सीख (The Takeaway)

जस्टिस वर्मा आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि **वीआईपी सुरक्षा कोई एकतरफा व्यवस्था नहीं है**। यह पुलिस और आयोजकों के बीच आपसी तालमेल पर निर्भर करती है। रिपोर्ट में सख्त सिफारिश की गई कि:

1. भविष्य में किसी भी राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम में **पुलिस के सुरक्षा निर्देश अंतिम और बाध्यकारी (Binding) होंगे**।
2. यदि आयोजक तय सुरक्षा मानकों (जैसे डबल बैरिकेडिंग, वेन्यू की सुरक्षा) को पूरा नहीं करते हैं, तो पुलिस को कार्यक्रम को **रद्द करने का कानूनी अधिकार** होना चाहिए।
3. सुरक्षा में व्यवधान डालने वाले आयोजकों के खिलाफ **कठोर कानूनी कार्रवाई** की जानी चाहिए।